केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध तथा होमियोपैथी (आयुष) मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विधिक निकाय
A Statutory Body under the Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Govt. of India
Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan
No.61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110 058.

Phone: (Direct) 28525582, 28520607, 28521542
Fax: 0... 520691,
E-mail: cchindia1...hoo.com
Website: www.cchindia.com

क.सं.12-11/2010-के.हो.परि.(पार्ट–II)(1) 16234–16544 दिनांकः– 20 DEC 2018

सेवा में,

1 सचिव सभी राज्य/स0शा0प्रदेश शासन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा/भारतीय चिकित्सा प0 एवं होम्योपैथी/आयुष विभाग।
2 रजिस्ट्रार,
सभी विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वचविद्यालया) सहित (जहॉ होम्योपैथिक सकांय हो/सधंटक होम्योपैथिक महाविद्यालय हो)
3 प्रधानाचार्य,
सभी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (निदेशक, नेशनल हंस्ट्रीटूयट ऑफ होम्योपैथी, कोलकता सहित)

विषयः—होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यकम), एम.डी. (होम) विनियम,1989 एवं होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यकम) विनियम, 1983.

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयांक में होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यकम), एम.डी. (होम) विनियम,1989 एवं होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यकम) विनियम, 1983 मे सेशोधन हेतु नोटिफिकेशन दिनॉक 14–12–2018 की प्रति, जिसे भारत के राजपत्र संख्या 489 के द्वारा प्रकाशित किया है, की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

भवदीय

(डॉ0 शौकत अली पी0के0)
सचिव(इन्चार्ज)

रजि॰ नं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2018/अग्रहायण 26, 1940
No. 498] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2018/AGRAHAYANA 26, 1940

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

सं. 12–11/2010–के हो प (पार्ट–II)(1).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के खण्ड (झ), (ञ) व (ट), धारा 20 की उप धारा (1) के साथ पठित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) विनियम, 1989 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है अर्थात् :–

1 (1) **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**–इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) संशोधन विनियम, 2018 होगा ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. होम्योपैथी (स्नात्कोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम), एम.डी. (होम) विनियम, 1989 में, विनियम 4 में उप–विनियम (2) को निम्न उप–विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(2) (i) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा अर्थात अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.–पी.जी.ई.टी.) होगी तथा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराया जाएगा;

परन्तु उक्त अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.–पी.जी.ई.टी) विदेशी राष्ट्रीयता के अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी।

(ii) किसी शैक्षिक वर्ष हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को उस शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में न्यूनतम अंक 50वाँ प्रतिशतक प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

परन्तु निम्न के संबंध में–

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम अंक 40वाँ प्रतिशतक होंगे;

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट संदर्भित दिव्यांगजन (बेंचमार्क) रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45वाँ प्रतिशतक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 40वाँ प्रतिशतक होंगे।

टिप्पणी : प्रतिशतक का निर्धारण अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.) में अखिल भारतीय सामूहिक योग्यता क्रम सूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा;

परन्तु आगे जब संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की उचित संख्या में स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु किसी शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित किए गए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.), जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हो जाए तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् के परामर्श कर अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम कर सकती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कम किए गए अंक मात्र उस शैक्षिक वर्ष हेतु लागू होंगे;

(iii) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.) में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यता क्रमसूची एवं राज्यवार योग्यता क्रमसूची तैयार की जाएगी तथा अभ्यर्थी जो कि संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है, उनका प्रवेश स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यकम में मात्र इन सूचियों से होगा।

(iv) शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों तथा निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत एवं राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए पचासी प्रतिशत होगा।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघशासित प्रदेशो के सभी होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श हेतु नामित प्राधिकारी, संबंधित राज्य एवं संघशासित प्रदेश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राज्य शासन अथवा संघशासित प्रदेश होंगे।

(vi) अखिल भारतीय कोटे के सीटों के साथ साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी होम्योपैथी संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परामर्श, केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी जोकि उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(viii) इन विनियमों द्वारा प्रवेश के संबंध में निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रवेशित अभ्यर्थी को केन्द्रीय परिषद् द्वारा अविलंब हटा दिया जायेगा।

(ix) किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करने वाले प्राधिकरण अथवा संस्था के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

डॉ. आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार–सह–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./419/18]

नोट : मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–III, खण्ड 4 में संख्या 12–18/89–के.हो.प. के द्वारा दिनॉक 16 नवंबर, 1989 को प्रकाशित किया गया तथा तत्पश्चात निम्न संशोधन किए :–

1. 12–3/91–के.हो.प. दिनॉक 22 फरवरी, 1993;
2. 12–3/91–के.हो.प.(पार्ट) दिनॉक 05 नवंबर, 2001;
3. 12–2/2006–के.हो.प.(पार्ट) दिनॉक 05 मार्च, 2012 तथा
4. 12–11/2010–के.हो.प.(पार्ट) दिनॉक 29 मार्च, 2013;

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

No. 12-11/2010-CCH(Pt.II)(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 read with sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989 namely: -

1. **Short title and commencement. –**

(1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989, in regulation 4, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) (i) There shall be a uniform entrance examination to all medical institutions at the postgraduate level namely, the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government:

Provided that the said All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) shall not be applicable for foreign national's candidates.

(ii) In order to be eligible for admission to postgraduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET)' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation. – The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET):

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET), as specified above, held for any academic year for admission to postgraduate courses, the Central Government in consultation with Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to postgraduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to post graduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admissions to postgraduate course in all Homoeopathy educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the States Government, University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admissions to postgraduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to postgraduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the postgraduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.".

Dr. ASHIS DATTA, Registrar –Cum –Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./419/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide No.12-18/89-CCH, dated the 16th November, 1989 and subsequently Amended vide:-

1. 12-3/91-CCH, dated the 22nd February, 1993;
2. 12-3/91-CCH(Pt.), dated the 5th November, 2001;
3. 12-2/2006-CCH(Pt.), dated 5th March, 2012; and
4. 12-11/2010-CCH(Pt.), dated the 28th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

सं. 12–13/2006–के हो प (पार्ट–V).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 वाँ) की धारा 33 के खण्ड (झ) (ञ) (ट) और धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1 संक्षिप्त भीर्शक, प्रारंभ एवं विनियोग.—(1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2018 होगा ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जो कि शैक्षणिक सत्र (2019–2020) से आरंभ होने वाले बीएचएमएस (डिग्री पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेंगे ।

2. होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम,1983 में, (यहाँ इसके पश्चात उक्त विनियमों से संदर्भित) के विनियम 4 में, –

(अ) उप विनियम (i) में, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:– "परन्तु यह कि –

(i) अभ्यर्थी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान तथा अंग्रेजी, प्रत्येक विषयों को अलग अलग उत्तीर्ण किया हो तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषयों में संयुक्त रूप से सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों द्वारा कम से कम पचास प्रतिशत अंकों तथा अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा चालीस प्रतिशत अंकों से उतीर्ण किया हो,

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट संदर्भित दिव्यांगजन (बेंचमार्क) रखने वाले अभ्यर्थियों के मामलें में सामान्य श्रेणी हेतु भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम अंक पैंतालीस प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक चालीस प्रतिशत होगें।":

(आ) उप विनियम (ii) के लिए निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :–

"(ii) किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके प्रथम वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व सत्रह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लिया हो तथा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के वर्ष 31 दिसम्बर को अभ्यर्थी की आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।"

उक्त विनियमों के विनियम 4अ में, उप विनियम (i) के लिए, निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(i) स्नातक स्तर पर सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात् प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी) केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ii) एक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु अभ्यर्थी को उक्त शैक्षणिक वर्ष में आयोजित "स्नातक पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा" में न्यूनतम 50वॉ प्रतिशतक अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु निम्न के लिए–

(अ) अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक 40वॉ प्रतिशतक होंगें।

(आ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन विनिर्दिष्ट संदर्भित दिव्यांगजन (बेंचमार्क) रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम अंक, सामान्य श्रेणी हेतु 45वॉ प्रतिशतक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु 40वॉ प्रतिशतक होगें।

स्पष्टीकरण– स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रतिशतक का निर्धारण राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में अखिल भारतीय सामूहिक योग्यता सूची में उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु इसके अतिरिक्त यदि संबंधित श्रेणियों में किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित उपर्युक्त विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में उचित संख्या में अभ्यर्थी, निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हों, तो केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद् के साथ परामर्श कर अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंको को कम करने का निर्णय ले सकती हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे कम किए गए अंक मात्र उसी शैक्षणिक वर्ष हेतु मान्य होंगे।

(iii) अभ्यर्थियों की, अखिल भारतीय योग्यता सूची के साथ–साथ राज्यवार योग्यता सूची, राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में प्राप्ताकों के आधार पर तैयार की जायेगी और सम्बंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल योग्यता सूचियों के आधार पर ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा ।

(iv) शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों तथा निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा पंद्रह प्रतिशत एवं राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए पचासी प्रतिशत होगा।

(v) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघशासित प्रदेशो के सभी होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श हेतु नामित प्राधिकारी, संबंधित राज्य एवं संघशासित प्रदेश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, राज्य शासन अथवा संघशासित प्रदेश होंगे ।

(vi) अखिल भारतीय कोटे के सीटों के साथ साथ केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सभी होम्योपैथी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परामर्श, केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी जोकि उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(viii) इन विनियमों द्वारा प्रवेश के संबंध में निर्धारित मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर कोई भी प्राधिकारी अथवा संस्था किसी भी अभ्यर्थी को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन कर प्रवेशित अभ्यर्थी को केन्द्रीय परिषद् द्वारा अविलंब हटा दिया जायेगा।

(ix) किसी भी छात्र को उक्त मानदंड अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करके प्रवेश प्रदान करने वाले प्राधिकरण अथवा संस्था के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

(x) विदेशी नागरिकता वाले अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है तथा विदेशी नागरिकता के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (एनईईटी) लागू नहीं होगी।

4. उक्त विनियमों के विनियम 6 शीर्षक "चतुर्थ बी.एच.एम.एस." के अंतर्गत, उप शीर्षक "स परीक्षा" च भाग "2. मौखिक परीक्षा अथवा मौखिक सहित प्रयोगात्मक" तथा संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् –

"2. प्रयोगात्मक सहित मौखिक परीक्षा अथवा मौखिक :

2.1 अंक–200

2.2 अंको का विभाजनः	अंक
2.2.1 एक दीर्घ केस	40
2.2.2 एक लघु केस	20
2.2.3 प्रायोगिक रिकार्ड, केस रिकार्ड, जर्नल	15
2.2.4 नमूनों की पहचान (एक्स–रे, ई.सी.जी. इत्यादि)	25
2.2.5 मौखिक परीक्षा	100
कुल	200

5. उक्त विनियमों में विनियम 11, उप–विनियम (iii)में खण्ड (इ) के लिए निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(इ) अभ्यार्थी को द्वितीय बीएचएमएस परीक्षा में प्रवेश की अनुमति से कम से कम एक सत्र (छः माह) पूर्व प्रथम बीएचएमएस परीक्षा की सभी विषयों में उत्तीर्ण होना होगा। "

डॉ. आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार–सह–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./419/18]

नोट : मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–III, खण्ड 4 में संख्या 7–1/83/के.हो.प. के द्वारा दिनॉक 11 मई, 1983 को प्रकाशित किया गया तथा अंतिम संशोधन 12–13/2006–के.हो.प. (भाग–V) दिनॉक 29 जून, 2016 में किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

No. 12-13/2006-CCH(Pt.V).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 namely: -

1. **Short title and commencement and application.**—(1) These regulations may be called the Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for B.H.M.S. (Degree Course) from the commencement of the academic session (2019-2020).

2. In the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 4, –

(a) in sub-regulation (i), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that-

(i) the candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained a minimum of fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the qualifying examination mentioned above for unreserved candidates and forty per cent. marks in respect of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(ii) candidate with benchmark disabilities as specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. for general category and forty per cent. for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.";

b) for sub-regulation (ii), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(ii) No candidate shall be admitted to B.H.M.S. Degree Course unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of this admission in the first year of the course **and not older than the age of twenty-five years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the course:**

Provided that the upper age limit may be relaxed by five years to the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes, Other Backward Classes and physically handicapped candidates.".

3. In the said regulations, in regulation 4A, for sub-regulation (i), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(i) There shall be a uniform entrance examination to all medical institutions at the undergraduate level, namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) for admission to undergraduate course in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Central Government;

(ii) In order to be eligible for admission to undergraduate course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'National Eligibility Entrance Test for undergraduate course' held for the said academic year:

Provided that in respect of-

(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Explanation. – The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the all India common merit list in the National Eligibility Entrance Test for undergraduate courses:

Provided further that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks in the National Eligibility Entrance Test, as specified above, held for any academic year for admission to undergraduate courses, the Central Government in consultation with Central Council may at its discretion lower the minimum marks required for admission to undergraduate course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(iii) An all India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to undergraduate course from the said merit lists only.

(iv) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institutions and Private Institutions shall be fifteen per cent. for the all India quota and eighty-five per cent. for the States and Union territories quota.

(v) The designated authority for counseling for all admissions to undergraduate course in all Homoeopathy educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the States Government University, Deemed University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company

shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(vi) The counseling for all admissions to undergraduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government.

(vii) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as specified above shall be admitted to undergraduate course in the said academic year.

(viii) No authority or institution shall admit any candidate to the undergraduate course in contravention of the criteria or procedure as laid down by these regulations in respect of admissions and any candidate admitted in contravention of the said criteria or procedure shall be discharged by the Central Council forthwith.

(ix) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the aforesaid criteria or procedure shall be liable to face action in terms of the provisions of the Act.

(x) For foreign national candidates any other equivalent qualification to be approved by the Central Government may be allowed, and entrance examination for admission to undergraduate course namely the National Eligibility Entrance Test (NEET) shall not be applicable for foreign national candidates.".

4. In the said regulations, in regulation 6, under the heading "Fourth B.H.M.S.", under sub-heading "C. Examination", for part "2. Practical including viva voice or oral" and the entries relating there to, the following shall be substituted, namely:-

"2. Practical including viva voce or oral"

2.1. Marks: 200

2.2. Distribution of marks:	Marks
2.2.1. One long case	40
2.2.2. One short case	20
2.2.3. Practical records, case records, journal	15
2.2.4. Identification of specimens (X-ray, E.C.G., etc.)	25
2.2.5. Viva voce (oral)	100
Total	200.".

5. In the said regulations, in regulation 11, in sub-regulation (iii), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) The candidate shall pass First BHMS Examination in all the subjects at least one term (six months) before he is allowed to appear in Second BHMS Examination.".

Dr. ASHIS DATTA, Registrar –Cum –Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./419/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* number 7-1/83/CCH, dated the 11th May, 1983 and last amended *vide 12-13/2006-CCH(Pt.V), dated the* 29th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.17 22:46:27 +05:30